



## T&amp;CP.pdf



1 of 3

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

जिला Indore मध्य प्रदेश

क्रमांक INDLP300323646/ दिनांक / 14/JUN/2023

प्रति,

सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत-नेउगुराडिया तहसील- डॉ अंबेडकर नगर(महूँ) जिला इन्दौर (म.प्र.)

**विषय:-** ग्राम नेउगुराडिया, तहसील डॉ अंबेडकर नगर, महूँ, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 354/4/1, 354/4/2 कुल रकबा 1.9930 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग हेतु अभिमत बाबद्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/12/2022,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं आवेदक के आवेदन अनुसार आवेदक श्री मदनलाल पिता श्री घीसाराम निवासी- ग्राम कोदरिया तह महूँ जिला इन्दौर के स्वामित्व की भूमि ग्राम नेउगुराडिया, तहसील डॉ अंबेडकर नगर, महूँ, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 354/4/1, 354/4/2 कुल रकबा 1.9930 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग हेतु कार्यालयीन अभिमत बाबद् प्रकरण प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रकरण में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है:-

1. पटवारी नक्शा, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका।
2. खसरा, खतौनी वर्ष 2022-2023
3. शपथ पत्र
4. गूगल मानचित्र।
5. औद्योगिक उपयोग हेतु नियोजित स्थल मानचित्र की प्रतियां।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर भू-स्वामी की उपस्थिति में कार्यालय के अन्वेषक द्वारा भूमि का निरीक्षण किया गया, जिसमें भूमि मौके पर रिक्त है। प्रष्नाधीन भूमि को भूमि के उत्तर दिशा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 354/1, 354/2, 354/3 पर स्थित सहमति मार्ग से पहुँच उपलब्ध है। जिसकी चौड़ाई 18.00 मी. है, जिस हेतु आवेदक द्वारा आवेदन के साथ मार्ग के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मार्ग मध्य से 9.00/9.00 मीटर भूमि दोनो ओर मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ना आवश्यक है, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य मान्य नहीं होगा।

ग्राम नेउगुराडिया, तहसील डॉ अंबेडकर नगर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 के तहत गठित निवेश क्षेत्र में शामिल है। जिसके भू उपयोग का निर्धारण नहीं हुआ है। अतः आपके संदर्भित पत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम नेउगुराडिया, तहसील डॉ अंबेडकर नगर, महूँ, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 354/4/1, 354/4/2 कुल रकबा 1.9930 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग संलग्न स्थल मानचित्र के अनुसार किया जाता है, तो निम्न शर्तों के तहत इस कार्यालय का अभिमत प्रदान किया जाता है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-
  - अ. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
  - ब. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
  - स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
2. प्रष्नाधीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे-
  - अ- प्रस्तावित ग्राउण्ड कवरेज मानचित्र अनुसार 30.17 प्रतिशत अधिकतम।
  - ब- एफ.ए.आर. 1:1.00 अधिकतम।
  - ब- भवन की ऊँचाई - 18.0 मीटर अधिकतम।
  - स- एम.ओ.एस. संलग्न मानचित्र अनुसार।
  - द- पार्किंग - मानचित्र अनुसार 4679.41 वर्ग मीटर या अधिक।

Signature Not Verified  
Digitally Signed by SHIV  
KANT MUDGAL  
Date: 15-06-2023 11:59:06

3. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम 52 के अन्तर्गत प्रावधानों का पालन कर संबंधित विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विकास किया जावेगा।
4. संलग्न स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल, विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
6. संलग्न स्थल मानचित्र के आधार पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा विकास कार्य उसकी देख-रेख में करना होगा। इन विकास कार्यों में मूलभूत सुविधाएं जैसे- जल-मल निकासी की व्यवस्था एवं वर्षा के जल की निकासी विद्युत व्यवस्था आदि सम्मिलित है।
7. अतः संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शिये अनुसार मार्ग की चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 18.00 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 9.00 मीटर चौड़ी भूमि मध्य मार्ग से दोनो ओर मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना होगा।
8. भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी भी प्रकार का डिजाईन फाल्ट अथवा जारी अभिमत के विपरित निर्माण की अव्यवस्था में आवेदक की जवाबदारी होगी।

